NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-11-2025

विषय सूची

» प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा
» शहरी सहकारी बैंक
» सेबी ने डिजिटल सोने के जोखिमों के प्रति आगाह किया
» हरित हाइड्रोजन पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH 2025)
» उष्णकटिबंधीय वन फॉरएवर सुविधा(TFFF)

संक्षिप्त समाचार

» भारत में फंगस संक्रमण में वृद्धि
» डंपसाइट उपचार त्वरक कार्यक्रम (DRAP)
» YBRANT कार्यक्रम
» लूसिफ़र मधुमक्खी
» गगनयान मिशन
» अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल
» राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024

प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा

प्रसंग

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया भूटान यात्रा ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को बेहतर किया।

मुख्य परिणाम

- 1020 मेगावाट पुनात्सांगचू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्मित हुई।
- **घोषणाएँ :**
  - 1200 मेगावाट पुनात्सांगचू-I जलविद्युत परियोजना के मुख्य बांध संरचना पर कार्य पुनः आरंभ करने पर सहमति।
  - वाराणसी में भूटानी मंदिर/मठ और अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि का अनुदान।
  - गैलेफू के पार हाटिसार में एक आव्रजन चौकी स्थापित करने का निर्णय।
  - भूटान को 4000 करोड़ रुपये की ऋण सीमा (Line of Credit)।
- **हस्ताक्षरित समझौते (MOUs Signed):**
  - नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
  - स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
  - भूटान के PEMA सचिवालय और भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के बीच संस्थागत संबंध स्थापित करने पर समझौता।

भारत-भूटान संबंधों पर संक्षिप्त परिचय

- भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंध 1968 में स्थापित हुए।
  - भारत-भूटान संबंधों का मूल ढांचा 1949 में हस्ताक्षरित मित्रता और सहयोग संधि रहा है।
  - 2007 में संधि का संशोधन किया गया, जिससे भूटान को अधिक स्वायत्तता मिली, साथ ही संप्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान और घनिष्ठ सहयोग की पुनः पुष्टि हुई।
  - 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो" प्रदान किया गया, यह सम्मान पाने वाले प्रथम विदेशी नेता बने।
- **विकासात्मक साझेदारी :**
  - भारत भूटान का प्रमुख विकास सहयोगी है, जिसने 1971 से उसके प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन किया है।
  - **वार्षिक योजना वार्ता (द्विपक्षीय विकास सहयोग वार्ता):** प्राथमिकताओं और सहायता की रूपरेखा तय करने का संस्थागत तंत्र।
  - **शामिल क्षेत्र:** सड़कें, अवसंरचना, डिजिटल कनेक्टिविटी, जलविद्युत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, शहरी विकास आदि।
- **व्यापारिक संबंध :**
  - भारत निरंतर भूटान का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रहा है—आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों रूपों में।
  - 2014 से भारत-भूटान व्यापार तीन गुना से अधिक बढ़ा है—2014–15 में 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2024–25 में 1,777.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक, जो भूटान के कुल व्यापार का 80% से अधिक है।
  - 2016 भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है तथा भूटान को तृतीय देशों से/को वस्तुओं के शुल्क-मुक्त पारगमन की सुविधा देता है।
- **ऊर्जा सहयोग (जलविद्युत और नवीकरणीय):**
  - भारत ने भूटान में 4 प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ बनाई हैं: चुखा (336 मेगावाट), कुरिचू (60 मेगावाट), ताला (1020 मेगावाट), मंगदेचू (720 मेगावाट)।
  - वर्तमान में दो परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं: 1020 मेगावाट पुनात्सांगचू-I और 1020 मेगावाट पुनात्सांगचू-II।

- **अंतरिक्ष सहयोग :**
  - 2019 में दोनों देशों द्वारा दक्षिण एशिया उपग्रह ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन।
  - 2022 में भारत-भूटान SAT, प्रथम संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह, प्रक्षेपित किया गया।
  - 2024 में अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर।
- **फिन-टेक :**
  - रुपे कार्ड: दो चरणों (2019 और 2020) में लॉन्च, पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी हेतु।
  - 2021 में भारत का BHIM एप्लिकेशन भूटान में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नकदरहित भुगतान को बढ़ावा देना है।
- **भारतीय प्रवासी :**
  - लगभग 50,000 भारतीय वर्तमान में भूटान में कार्यरत हैं, मुख्यतः अवसंरचना विकास, जलविद्युत, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्रों में, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ जन-से-जन संबंधों को दर्शाता है।

भारत के लिए भूटान का महत्व

- **चीन के विरुद्ध बफर:** भूटान भारत और चीन के बीच भौगोलिक बफर का कार्य करता है। इसका स्थान भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) की रक्षा करता है—जो पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र स्थलीय संपर्क है।
  - चीन के भूटान से औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन वह सीमा मुद्दे पर सक्रिय रूप से वार्ता कर रहा है।
  - भारत भूटान को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने और चीन की रणनीतिक घुसपैठ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मानता है, विशेषकर त्रि-जंक्शन क्षेत्र में।
- **पड़ोस प्रथम नीति:** भूटान भारत की 'पडोसी प्रथम' नीति का केंद्रीय स्तंभ है।
  - भूटान में स्थिरता भारत की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है, जो दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के लिए है।
  - भूटान भारत की पूर्वोत्तर भारत से जुड़ाव को बढ़ाने में भूमिका निभाता है।
    - भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का उद्देश्य पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना है, और भूटान ऐसे स्थलीय संपर्क गलियारों में महत्वपूर्ण है।
- **जलविद्युत और ऊर्जा सुरक्षा:** भूटान की नदियाँ स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं। भारत जलविद्युत परियोजनाएँ बनाने में सहायता करता है और अधिशेष विद्युत आयात करता है।
  - यह भारत को ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने में सहायता करता है और भूटान को प्रमुख राजस्व प्रदान करता है।
- **व्यापार और आर्थिक संबंध:** भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेश का स्रोत है।
  - विशेष भारत–भूटान व्यापार और पारगमन समझौता शुल्क-मुक्त बाजार पहुँच प्रदान करता है।
  - भूटान दक्षिण एशिया में उप-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण है, विशेषकर BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल)।
- **राजनयिक और बहुपक्षीय समर्थन:** भूटान प्रायः अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र में, भारत की स्थिति का समर्थन करता है।
  - भूटान की शांतिपूर्ण विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता भारत की क्षेत्रीय कूटनीति के अनुरूप है।

संबंधों में चुनौतियाँ

- **आर्थिक असंतुलन:** भूटान भारत से कहीं अधिक आयात करता है, जिससे बड़ा व्यापार घाटा होता है।
  - वरीयता प्राप्त व्यापार समझौतों के बावजूद, भूटानी उद्योग विविधीकरण में संघर्ष कर रहे हैं।
- **चीन कारक और सीमा वार्ता:** भूटान और चीन ने सीमा वार्ता के 24 दौर किए हैं, जिनमें 2021 का "तीन-चरणीय रोडमैप" MoU भी शामिल है।

- भारत संभावित चीन–भूटान सीमा समझौते को लेकर चिंतित है, विशेषकर डोकलाम क्षेत्र में, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

- **कनेक्टिविटी की कमी:** सीमित सड़क एवं रेल संपर्क आर्थिक और रणनीतिक एकीकरण को बाधित करते हैं।
  - पर्यावरणीय और सांस्कृतिक चिंताओं के कारण भूटान BBIN मोटर वाहन समझौते में शामिल होने से हिचकता है।
- **पर्यावरण और स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** भूटान का सकल राष्ट्रीय खुशी और पर्यावरण संरक्षण का मॉडल कभी-कभी भारत के अवसंरचना-आधारित दृष्टिकोण से टकराता है।
- **रणनीतिक संतुलन और स्वायत्तता:** भूटान विदेश नीति में, विशेष रूप से वैश्विक मंचों पर, अधिक स्वायत्तता चाहता है।
  - हालाँकि 2007 की संधि संशोधन ने भूटान को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की, फिर भी भारत उसके विदेश मामलों और रक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसे यदि संवेदनशीलता से प्रबंधित नहीं किया गया तो टकराव उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह

- यद्यपि भारत और भूटान विश्वास एवं सहयोग की एक सुदृढ़ नींव साझा करते हैं, फिर भी दोनों देशों में उभरती आर्थिक आकांक्षाएँ, भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ और घरेलू राजनीतिक परिवर्तन चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।
  - इन्हें पारस्परिक सम्मान, पारदर्शिता और रणनीतिक संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित करना उनके विशेष संबंधों को बनाए रखने की कुंजी है।
- भारत-भूटान संबंध पारस्परिक विश्वास और लाभ पर आधारित अच्छे-पड़ोसी साझेदारी का एक आदर्श उदाहरण हैं।

Source: TH

शहरी सहकारी बैंक

संदर्भ

- हाल ही में 'को-ऑप कुंभ 2025' में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) से भारत के युवाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

को-ऑप कुंभ 2025 की मुख्य विशेषताएँ

- **'दिल्ली घोषणा 2025'**: इसे नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज (NAFCUB) द्वारा अपनाया गया, जो सहकारी बैंकिंग नेटवर्क में वित्तीय स्थिरता, सुशासन और डिजिटलीकरण को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **डिजिटल पहल**: दो नई डिजिटल पहलों सहकार डिजी-पे और सहकार डिजी-लोन की शुरुआत की गई, ताकि सबसे छोटे सहकारी बैंकों को भी सशक्त बनाया जा सके।
  - ये डिजिटल भुगतान और ऋण वितरण सेवाएँ सक्षम करती हैं, जिससे UCBs भारत की व्यापक डिजिटल क्रांति में शामिल हो सकें।
- **सहकारी ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता**: सरकार का लक्ष्य आगमी पाँच वर्षों में उन सभी भारतीय शहरों में UCB स्थापित करना है जिनकी जनसंख्या दो लाख से अधिक है।
  - इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना और शहरी भारत में वित्तीय समावेशन को अधिक सुलभ बनाना है।

शहरी सहकारी बैंक (UCBs) के बारे में

- ये वित्तीय संस्थाएँ सहकारी आंदोलन में निहित हैं, जो मुख्यतः शहरी और अर्ध-शहरी जनसंख्या की सेवा करती हैं।
- सहकारी समितियाँ सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित होती हैं जैसे परस्पर सहायता, लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण और खुली सदस्यता, जो वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हैं।

- ये छोटे व्यवसायों, वेतनभोगी व्यक्तियों और निम्न-आय वर्गों को जमा, ऋण एवं क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करती हैं।
- ये समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- RBI और NABARD के अनुसार, वर्तमान में 1,457 शहरी सहकारी बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक (StCBs), 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) और एक औद्योगिक सहकारी बैंक हैं, जो RBI और NABARD के पर्यवेक्षण में हैं।

सहकारी बैंकों को मान्यता देने के पूर्व प्रयास

- **भारत सरकार अधिनियम (1919):** इसने 'सहकारिता' विषय को भारत सरकार से प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किया।
- **बॉम्बे सरकार का प्रथम राज्य सहकारी समितियों अधिनियम (1925):**
  - इसने सहकारी आंदोलन को आकार दिया और विस्तारित किया।
  - बचत, आत्म-सहायता और परस्पर सहायता पर जोर दिया।
  - अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया, जिससे सहकारी ऋण संस्थानों के इतिहास का दूसरा चरण शुरू हुआ।
- **भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति (1931):** शहरी बैंकों के छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग की सहायता करने के कर्तव्य पर बल दिया।
- **मेहता-भंसाली समिति (1939):** अनुशंसा की कि जो सहकारी समितियाँ कुछ बैंकिंग मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
  - शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक संघ बनाने का सुझाव दिया।
- **सहकारी योजना समिति (1946):** स्वीकार किया कि शहरी बैंक छोटे लोगों के लिए सर्वोत्तम वित्तीय एजेंसियाँ हैं, जिन्हें संयुक्त स्टॉक बैंकों द्वारा प्रायः नज़रअंदाज़ किया जाता है।
- **ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति (1950):** अनुशंसा की कि कम परिचालन लागत को देखते हुए छोटे शहरों में भी ऐसे बैंक स्थापित किए जाएँ।
- **RBI अध्ययन और रिपोर्ट (1958–1961):**
  - RBI ने 1958–59 में UCBs का प्रथम अध्ययन किया और 1961 में प्रकाशित किया।
  - UCBs की वित्तीय सुदृढ़ता को मान्यता दी।
  - नए केंद्रों में विस्तार का सुझाव दिया।
  - राज्य सरकारों से उनके विकास का सक्रिय समर्थन करने का आग्रह किया।
- **वार्डे समिति (1963):** अनुशंसा की कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरी केंद्रों में UCBs स्थापित किए जाएँ।
  - जोर दिया कि बैंक समुदाय या जाति-आधारित नहीं होने चाहिए।
  - न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की अवधारणा प्रस्तुत की।
  - UCB स्थापना के लिए उपयुक्त शहरी केंद्रों की पहचान हेतु जनसंख्या मानदंड परिभाषित किए।
- **माधवदास समिति (1979):** UCBs की भूमिका और प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन किया। अनुशंसा की:
  - पिछड़े क्षेत्रों में UCBs स्थापित करने के लिए RBI और सरकार का समर्थन।
  - सतत विकास के लिए व्यवहार्यता मानक।
- **हाते कार्य समूह (1981):** सुझाव दिया:
  - अधिशेष निधियों का बेहतर उपयोग।
  - चरणबद्ध दृष्टिकोण से UCBs के नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) को वाणिज्यिक बैंकों के अनुरूप करना।
- **मराठे समिति (1992):**
  - UCBs के लिए व्यवहार्यता मानदंडों को पुनर्परिभाषित किया।
  - सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण का युग शुरू किया।

- **माधवराव समिति (1999):** केंद्रित किया:
  - बीमार बैंकों का एकीकरण और नियंत्रण।
  - पेशेवरता और प्रबंधन मानकों में सुधार।
  - UCBs का व्यापक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकरण।

UCBs द्वारा सामना की जाने वाली वर्तमान चुनौतियाँ

- **संख्या में गिरावट:** 2004 में 1,926 से घटकर 2024 में लगभग 1,500 रह गए हैं, नियामक और वित्तीय दबावों के कारण।
- **नियामक प्रतिबंध:** शाखा विस्तार और लाइसेंसिंग पर प्रतिबंध। 2004 से नए लाइसेंस जारी नहीं हुए।
- **शासन और अनुपालन मुद्दे:** कई UCBs पुराने शासन ढाँचे, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुपालन की कमी और सीमित तकनीकी को अपनाने में समस्या का सामना कर रहे हैं।
- **वित्तीय कमजोरियाँ:** सीमित पूंजी आधार और जोखिमपूर्ण ऋण प्रथाओं के कारण स्थिरता प्रभावित हुई है।

संबंधित पहल और सुधार

- **NUCFDC गठन:** UCBs के लिए एक छत्र संगठन के रूप में स्थापित, जो वित्तीय समर्थन, नियामक मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण प्रदान करता है।
- **सशक्तिकरण उपाय:** RBI ने UCBs को नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी और उनके बोर्डों को वाणिज्यिक बैंकों के समान निपटान नीतियाँ बनाने का अधिकार दिया, सहकारिता मंत्रालय के निर्देशन में।
- **विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाएँ:** श्री एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने 2021 में एक मजबूत शीर्ष इकाई और बेहतर नियामक तंत्र बनाने की अनुशंसा की।
- **सहकारी क्षेत्र में आधुनिकीकरण और सुधार:** सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों ने सहकारी संस्थाओं का आधुनिकीकरण किया तथा लंबे समय से लंबित चुनौतियों का समाधान किया।
  - कई राज्य सरकारों ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए मॉडल उपनियम अपनाए हैं, जिससे एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
- **वित्तीय अनुशासन और NPAs में कमी:** सहकारिता क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) पिछले दो वर्षों में 2.8% से घटकर 0.6% हो गई हैं।
- **सहकारिता मंत्रालय के चार प्रमुख उद्देश्य:**
  - युवाओं को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जैसी नई शैक्षिक पहलों के माध्यम से जोड़ना।
  - बहु-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - वित्तीय अनुशासन और दक्षता सुनिश्चित करना।
  - शहरी और ग्रामीण भारत में सहकारी संस्थाओं की पहुँच का विस्तार करना।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी 2025) के रूप में नामित किया है, जिसका विषय है 'सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं', जिसका उद्देश्य सहकारी बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।

Source: DD News

सेबी ने डिजिटल सोने के जोखिमों के प्रति आगाह किया

संदर्भ

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आम जनता को डिजिटल गोल्ड और ई-गोल्ड उत्पादों में निवेश करने से सावधान किया है।

परिचय

- डिजिटल सोने में निवेश कई वर्षों से चलन में है, लेकिन विगत एक वर्ष में इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है।
  - इसके कारणों में सोने की कीमतों में तीव्र वृद्धि, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से सोना रखने की सुविधा और आसानी शामिल हैं।
- डिजिटल गोल्ड उत्पाद असंगठित हैं और किसी भी नियामक दायरे में नहीं आते, जिससे निवेशकों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।

डिजिटल गोल्ड क्या है?

- डिजिटल गोल्ड का अर्थ है सोना खरीदना बिना उसे भौतिक रूप से अपने पास रखने के। डिजिटल गोल्ड की कीमत भौतिक सोने की कीमत से जुड़ी होती है।
- डिजिटल गोल्ड ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है।
- यह निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सोना खरीदने, बेचने और संग्रहीत करने की सुविधा देता है।
- **कर (Tax):** भारत में सोना खरीदने पर, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, सामान्यतः GST लगता है। हालांकि डिजिटल गोल्ड पर सटीक दर इस बात पर निर्भर करती है कि प्रदाता उत्पाद को कैसे संरचित करता है।
  - जब आप डिजिटल गोल्ड बेचते हैं, तो कोई भी लाभ पूंजीगत लाभ (Capital Gain) माना जाता है, और कर दर इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इसे कितने समय तक रखा है।

डिजिटल गोल्ड में निवेश के लाभ :

- डिजिटल गोल्ड तक पहुँचना आसान है और आपात स्थिति में इसे जल्दी बेचा जा सकता है।
- पारंपरिक सोना खरीदने के विपरीत, डिजिटल गोल्ड निवेशकों को छोटे-छोटे निवेश से शुरुआत करने की अनुमति देता है।
- यह भंडारण की परेशानी को समाप्त करता है, जो भौतिक सोने से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती है।
- डिजिटल गोल्ड निवेशकों को अपनी निवेश राशि को भौतिक सोने में बदलने की सुविधा देता है, जिसे सिक्कों, बार या आभूषणों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के लिए डिमैट खाता या मार्जिन जमा की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह अधिक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है।

डिजिटल गोल्ड में निवेश से जुड़ी चिंताएँ :

- SEBI या RBI द्वारा विनियमित नहीं।
- निवेशक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं।
- पूरी तरह से कंपनी की ईमानदारी और स्थिरता पर निर्भर।
- संभावित छिपे हुए शुल्क (डिलीवरी, भंडारण या मेकिंग चार्ज)।
- यदि कुछ गलत हो जाए तो सीमित कानूनी उपाय।

SEBI ने निवेशकों को क्यों सावधान किया?

- SEBI ने देखा है कि कई डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निवेशकों को डिजिटल गोल्ड या ई-गोल्ड उत्पादों में निवेश की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कई ज्वैलर्स डिजिटल गोल्ड में निवेश के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
- ये उत्पाद न तो प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित हैं और न ही वस्तु डेरिवेटिव्स के रूप में विनियमित।
- ये सोने के उत्पाद निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं और उन्हें प्रतिपक्ष (Counterparty) और परिचालन जोखिमों के प्रति उजागर कर सकते हैं।

SEBI की सिफारिशें

- निवेशकों को ऐसे सोने के उत्पादों में निवेश करना चाहिए जो SEBI द्वारा विनियमित हों, ताकि किसी भी प्रकार के जोखिम से बचा जा सके।
- SEBI द्वारा विनियमित विभिन्न सोने के उत्पाद हैं:
  - सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs)
  - गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF)
  - इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGRs)
  - कमोडिटी डेरिवेटिव्स
- इन उत्पादों में निवेश SEBI-पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से किया जा सकता है और ये बाजार नियामक द्वारा निर्धारित नियामक ढाँचे के अंतर्गत आते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- यह भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है।
- इसकी स्थापना 1988 में हुई और 1992 में SEBI अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- SEBI का प्राथमिक लक्ष्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना तथा उसके सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करना है।

Source: IE

हरित हाइड्रोजन पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH 2025)

समाचार में

- तृतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, रोजगार सृजन और ग्रीन हाइड्रोजन में वैश्विक नेतृत्व के लिए उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित किया।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

- इसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 में शुरू किया गया और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- यह भारत की रणनीति का आधारस्तंभ है, जिसका लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।
- इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

उद्देश्य

- जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना और इस्पात, सीमेंट, रिफाइनिंग एवं गतिशीलता जैसे कठिन-से-नियंत्रित क्षेत्रों में उत्सर्जन घटाना।
- ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उत्पादों जैसे अमोनिया और मेथनॉल के लिए निर्यात अवसर सृजित करना।
- नवाचार और अवसंरचना विकास के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करना और प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँ

- **उच्च उत्पादन लागत:** इलेक्ट्रोलाइज़र तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट अभी भी महंगे हैं।
- **अवसंरचना की कमी:** सीमित हाइड्रोजन पाइपलाइन, ईंधन भरने के स्टेशन और भंडारण सुविधाएँ।
- **प्रौद्योगिकी परिपक्वता:** कई ग्रीन हाइड्रोजन अनुप्रयोग अभी भी पायलट या प्रदर्शन चरणों में हैं।
- **नीति समन्वय:** ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और वित्त मंत्रालयों के बीच क्रॉस-सेक्टोरल सामंजस्य की आवश्यकता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** यूरोपीय संघ, अमेरिका और चीन जैसे देश भी ग्रीन हाइड्रोजन नेतृत्व को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं।

आगे की राह

- भारत का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा को औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ संरेखित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है।
- मुख्य प्राथमिकताओं में घरेलू विनिर्माण का विस्तार, पायलट परियोजनाओं का विस्तार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन अवसंरचना का निर्माण, नीतिगत सामंजस्य में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके घरेलू तथा निर्यात बाजारों के लिए सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है।

Source :PIB

उष्णकटिबंधीय वन फॉरएवर सुविधा(TFFF)

संदर्भ

- हाल ही में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) को ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP) क्या है?

- यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जो क्रियान्वयन की समीक्षा करती है और प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णय अपनाती है।
- इसका स्थान और अध्यक्षता पाँच क्षेत्रीय समूहों — अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप, और पश्चिमी यूरोप एवं अन्य — के बीच घूमती रहती है।

- यह वार्षिक रूप से मिलती है, सामान्यतः बॉन (जर्मनी) में, जब तक कि किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा अन्यत्र मेज़बानी न की जाए।
- प्रथम COP 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ था।

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) के बारे में

- **अवलोकन:** यह एक निवेश कोष है जिसे स्थायी, आत्म-वित्तपोषित तंत्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
  - इसके माध्यम से शुद्ध लाभ 74 विकासशील उष्णकटिबंधीय वन देशों को प्रदान किए जाने का लक्ष्य है, ताकि वे अपने मौजूदा पुराने वनों को सुरक्षित रखें।
- **तर्क :** इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन देशों को सही पैमाने और गति से वन संरक्षण जारी रखने के लिए मान्यता एवं प्रोत्साहन देना है, विशेषकर अवसर लागत तथा क्रियान्वयन लागत को देखते हुए।

Countries with Tropical Forests Eligible for TFFF Payments

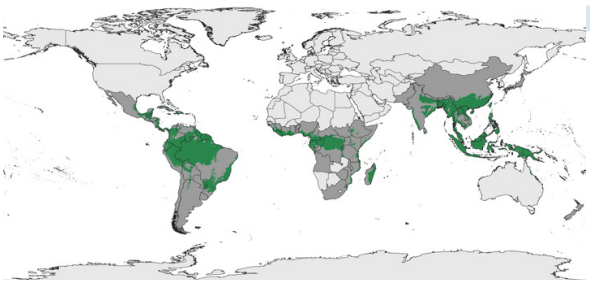

- **वित्तीय संरचना :**
  - इसका लक्ष्य धनी राष्ट्रों और परोपकारियों से 25 अरब डॉलर एकत्रित करना है।
  - साथ ही 100 अरब डॉलर का निजी निवेश आकर्षित करना है, जो उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा पर आधारित वन आवरण से जुड़ा होगा।
    - यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम 20% भुगतान सीधे आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों तक पहुँचे।

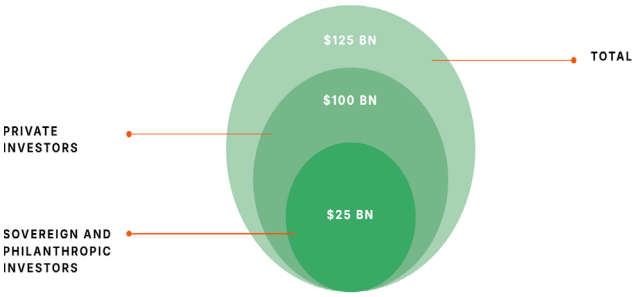

- **TFFF का महत्व:**
  - इसे एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है जो ग्लोबल साउथ को उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण में नेतृत्व प्रदान करती है।
  - यह वन संरक्षण के लिए स्थायी वित्तीय प्रोत्साहन देती है।
  - यह अक्षुण्ण उष्णकटिबंधीय वनों को मूल्यवान पारिस्थितिक संपत्ति के रूप में पुनर्परिभाषित करती है।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत ने TFFF स्थापित करने की ब्राज़ील की पहल का स्वागत किया और पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में इसमें सम्मिलित हुआ।
- भारत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का पीछा कर रहा है — ग्रीन बजटिंग, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स और 2026 तक राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार।
- भारत का पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान जैसे पारंपरिक बीज प्रणाली, सामुदायिक जल संचयन तथा पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन मॉडल वैश्विक स्तर पर अनुकूलनशील लचीलापन रणनीतियों के लिए मूल्यवान सीख प्रदान करते हैं।

चिंताएँ

- **वित्तीय बाज़ारों की अस्थिरता:** TFFF विकासशील देशों में बॉन्ड में निवेश करने की योजना बना रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से उतार-चढ़ाव के शिकार रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, यदि बाज़ार COVID-19 महामारी या 2008-09 वित्तीय संकट की तरह गिर जाए, तो TFFF देशों को रिटर्न देने में सक्षम नहीं हो सकता।

- **कानूनी दायित्वों का कमजोर होना:** TFFF आधिकारिक रूप से UNFCCC का हिस्सा नहीं है और उस पर वही ज़िम्मेदारियाँ लागू नहीं होतीं जो UN जलवायु वार्ताओं को नियंत्रित करती हैं, जहाँ दायित्व विकसित देशों पर होता है।

वन संरक्षण के अन्य वैश्विक उपक्रम

- **जैव विविधता पर सम्मेलन :** यह सम्मेलन 1992 में रियो अर्थ समिट में हस्ताक्षर के लिए खोला गया।
  - यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ।
- **UN-REDD कार्यक्रम(वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी):** 2008 में शुरू किया गया, यह विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देता है, वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के माध्यम से।
- **पेरिस समझौता (Paris Agreement):** यह जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है।
  - इसे 2015 में फ्रांस के पेरिस में UN जलवायु सम्मेलन (COP21) में 195 पक्षों द्वारा अपनाया गया।
  - यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ।

आगे की राह

- UNFCCC तंत्र के साथ एकीकृत करना ताकि जवाबदेही और विकसित देशों से निरंतर योगदान सुनिश्चित हो सके।
- बाज़ार आघातों से कोष को सुरक्षित करके दीर्घकालिक स्थिरता की गारंटी देना।
- खुले-प्रवेश वाले वन निगरानी डेटा और स्वतंत्र ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाना।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

भारत में फंगस संक्रमण में वृद्धि

संदर्भ

- अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में फंगल संक्रमण (फंगस जनित रोग) की वार्षिक घटनाएँ क्षय रोग (टीबी) से अधिक हो सकती हैं।

परिचय

- 2022 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि भारत में प्रति व्यक्ति फंगल रोगों का सबसे बड़ा भार है।
- इसका अर्थ है कि 5.7 करोड़ से अधिक लोग (जनसंख्या का 4.1%) गंभीर फंगल रोगों से प्रभावित हैं।
- रिपोर्ट ने यह भी इंगित किया कि देशभर में निदान संबंधी सीमाओं ने पहले से ही कुछ उच्च-गुणवत्ता वाले महामारी विज्ञान अध्ययनों को बाधित किया है।

फंगल संक्रमण

- फंगल संक्रमण, जिन्हें माइकोसिस भी कहा जाता है, फंगस द्वारा उत्पन्न रोग हैं।
- फंगस यूकैरियोटिक जीव होते हैं (जिनकी कोशिकाओं में नाभिक होता है), जो बैक्टीरिया और वायरस से भिन्न होते हैं।
- ये गर्म और नम वातावरण में पनपते हैं तथा त्वचा, श्लेष्म झिल्ली (mucous membranes) या शरीर के अंदर रह सकते हैं।
- फंगल संक्रमण हल्के से लेकर जीवन-घातक तक हो सकते हैं।
- कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग अधिकांश फंगल संक्रमणों के लिए उच्च जोखिम में होते हैं।

Source: IE

डंपसाइट उपचार त्वरक कार्यक्रम (DRAP)

समाचार में

- डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP) को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा लॉन्च किया गया है।

डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (DRAP)

- यह एक वर्ष लंबी, मिशन-मोड पहल है जिसका उद्देश्य शेष डंपसाइट्स के उपचार (Remediation) को तीव्र करना और मूल्यवान शहरी भूमि को समुदाय एवं अवसंरचना विकास के लिए पुनः प्राप्त करना है।
- यह भारत की "लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट्स" दृष्टि को सितंबर 2026 तक हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।

डंपसाइट रेमेडिएशन एक्शन प्लान (DRAP)

- यह स्वच्छ भारत मिशन के **5P फ्रेमवर्क** द्वारा निर्देशित है, जो व्यापक निगरानी, वित्तपोषण और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है:
  - **राजनीतिक नेतृत्व :** वरिष्ठ नेता प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट डंपसाइट्स को अपनाते हैं।
  - **सार्वजनिक वित्त :** महत्वपूर्ण विरासत अपशिष्ट वाले शहरों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो वर्तमान निधियों को पूरक करती है।
  - **साझेदारी :** सहयोग में कॉरपोरेट्स/PSUs द्वारा वित्तपोषण, PWDs/NHAI द्वारा सड़क निर्माण में निष्क्रिय अपशिष्ट का उपयोग, इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और सामुदायिक जागरूकता के लिए NGOs शामिल हैं।
  - **जन समर्थन:** प्रभावित समुदायों, सफाई मित्रों और आसपास के निवासियों के लिए जागरूकता और स्वास्थ्य पहलों पर ध्यान केंद्रित।
  - **परियोजना प्रबंधन :** परिभाषित समयसीमा, संसाधन आवंटन और निगरानी तंत्र के साथ साइट-विशिष्ट सूक्ष्म-कार्य योजनाएँ प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं।

Source:HT

YBRANT कार्यक्रम

समाचार में

- भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA) ने WNS ग्लोबल सर्विसेज के साथ साझेदारी में YBRANT कार्यक्रम शुरू किया है।

YBRANT कार्यक्रम

- यह सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच एक रणनीतिक सहयोग है।
- इसका उद्देश्य भावी CEOs में सतत विकास के मूल्यों को स्थापित करना है।
- यह छह महीने का मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें 15 मॉड्यूल, 22.5 घंटे की शैक्षणिक शिक्षा और 18 घंटे का फील्डवर्क शामिल है, जिसे IICA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

उद्देश्य और आवश्यकता

- भारत का CSR व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है — वित्त वर्ष 2014–15 में ₹10,065.93 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में ₹34,908.75 करोड़ तक।
- यह इस आवश्यकता को उजागर करता है कि ऐसे पेशेवर हों जो लाभ और जिम्मेदार आचरण के बीच संतुलन बना सकें।
- इसलिए YBRANT कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और सततता-उन्मुख व्यावसायिक नेताओं को विकसित करना है।

Source: PIB

लूसिफ़र मधुमक्खी

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने लूसिफ़र नामक एक नई देशज मधुमक्खी प्रजाति की खोज की है।

परिचय

- नई प्रजाति – मेगाकाइल (हैकेरियापिस) लूसिफ़र – प्रथम बार 2019 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में खोजी गई थी।
- यह मधुमक्खी समूह का प्रथम नया सदस्य है जिसे 20 वर्षों से अधिक समय बाद वर्णित किया गया है।
- ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2,000 देशज मधुमक्खी प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 300 से अधिक का अभी तक वैज्ञानिक रूप से नामकरण और वर्णन नहीं हुआ है।
- मादा मधुमक्खी के चेहरे पर ऊपर की ओर निकले हुए विशिष्ट सींगों ने इसके नामकरण को प्रेरित किया।
- मधुमक्खी के प्रत्येक सींग की लंबाई लगभग 0.9 मिलीमीटर है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका उपयोग फूलों तक पहुँचने, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने एवं घोंसलों की रक्षा करने में किया जा सकता है।

- रोचक बात यह है कि इस प्रजाति के नर मधुमक्खियों में सींग नहीं होते।

महत्व

- यह खोज उन अज्ञात प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी जो अब भी मौजूद हो सकती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो खनन से प्रभावित हैं।
- कई खनन कंपनियाँ अभी भी देशज मधुमक्खियों का सर्वेक्षण नहीं करतीं, जबकि ये मधुमक्खियाँ संकटग्रस्त पौधों और पारिस्थितिक तंत्रों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- लगभग सभी पुष्पीय पौधे जंगली परागणकर्ताओं, विशेषकर मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन आवास हानि और जलवायु परिवर्तन कई महत्वपूर्ण प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर पहुँचा रहे हैं।

Source: TH

गगनयान मिशन

समाचार में

- ISRO ने अपने आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण पैराशूट परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ISRO आगामी कदम तीन बिना चालक वाली उड़ानों का संचालन करेगा, जिनमें व्योमित्रा नामक अर्ध-मानवाकार रोबोट शामिल होगा, और लक्ष्य है कि 2027 की शुरुआत तक मानवयुक्त मिशन किया जाए।

गगनयान मिशन

- गगनयान कार्यक्रम को दिसंबर 2018 में स्वीकृति दी गई थी।
- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का मिशन है और इसे लगभग ₹20,193 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ स्वीकृत किया गया।
- यह भारत की प्रथम स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान पहल है।
- इसका उद्देश्य भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है, जिसके अंतर्गत एक दल को 400 किमी निम्न-पृथ्वी कक्षा (Low-Earth Orbit) में तीन दिनों के लिए भेजा जाएगा, और सुरक्षित वापसी के साथ भारतीय जलक्षेत्र में समुद्री अवतरण किया जाएगा।
- ह्यूमन रेटेड LVM3, जो ISRO के विश्वसनीय LVM3 रॉकेट का संशोधित संस्करण है, को गगनयान मिशन के प्रक्षेपण यान के रूप में चुना गया है।
  - इसमें क्रू एस्केप सिस्टम (CES) शामिल है, जिसमें उच्च-थ्रस्ट ठोस मोटर लगे हैं ताकि प्रक्षेपण आपात स्थितियों के दौरान दल को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके।

Source :IE

अंतर्राष्ट्रीय क्रायोस्फीयर जलवायु पहल

समाचार में

- "2025 स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट" इस बात पर बल देती है कि पृथ्वी के ग्लेशियर और हिम चादरें तेजी से पिघल रही हैं।

मुख्य विशेषताएँ

- **महत्वपूर्ण सीमा :** पृथ्वी का क्रायोस्फीयर (ग्लेशियर और हिम चादरें) महत्वपूर्ण तापमान सीमाओं के पास है।
  - केवल 1°C तापमान वृद्धि पर अपरिवर्तनीय पिघलाव संभव है, और कई ग्लेशियर इससे भी कम तापमान पर स्थायी रूप से पिघल सकते हैं।
- **वैश्विक हिम हानि :** ध्रुवीय हिम चादरों और ग्लेशियरों का तीव्रता से पिघलना, विशेषकर ग्रीनलैंड और

अंटार्कटिका में, समुद्र-स्तर वृद्धि को तीव्र कर रहा है तथा महासागरीय धाराओं व पारिस्थितिक तंत्रों पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है।

- **समुद्री बर्फ में गिरावट :** आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों में समुद्री बर्फ 2025 में रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे वैश्विक जलवायु पैटर्न एवं समुद्री खाद्य जाल प्रभावित हो रहे हैं।
- **समुद्र-स्तर वृद्धि :** वर्तमान तापमान वृद्धि (~1.2°C) पर बने रहने से सदियों में कई मीटर समुद्र-स्तर वृद्धि हो सकती है, जिससे तटीय शहर एवं छोटे द्वीप खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन तापमान वृद्धि को 1.5°C या उससे कम तक सीमित करने से इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है।
- **जल संसाधनों पर प्रभाव :** ग्लेशियरों और हिम चादरों के पिघलने से पहले ही बड़ी मात्रा में जल निकल चुका है, जो 2023 में वैश्विक वार्षिक जल खपत का लगभग 13% था। भविष्य में यह कमी अरबों लोगों की जल सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
- **महासागर में परिवर्तन :** ध्रुवीय हिम के पिघलने और गर्म जल के कारण महासागरीय धाराएँ बाधित हो रही हैं। अ
  - टलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन धीमा हो रहा है, जिससे उत्तरी यूरोप में ठंडे तापमान की संभावना बढ़ सकती है।
- **बढ़ते जोखिम :** स्थायी हिम (Permafrost) की हानि, महासागर अम्लीकरण में वृद्धि और हिम आवरण में कमी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीर बना रहे हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव आजीविका खतरे में पड़ रही है।

Source: TH

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024

संदर्भ

- राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गुजरात और हरियाणा को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान दिया गया है।

परिचय

- राष्ट्रीय जल पुरस्कार को 2018 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) द्वारा शुरू किया गया था।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य सतत जल प्रबंधन को प्रोत्साहित करना और सरकार की 'जल समृद्ध भारत' दृष्टि का समर्थन करना है।
- इस वर्ष दस श्रेणियों में कुल 46 विजेताओं का चयन किया गया है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय और सर्वश्रेष्ठ संस्थान शामिल हैं।

Source: PIB

■■■■